अध्याय II
प्लास्टिक और उसके उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का उदग्रहण और संग्रहण

2.1 प्रस्तावना

प्लास्टिक[11] उस सामग्री को संदर्भित करता है जो या तो पॉलीमेराईजेशन के समय या बाद में मोल्डिंग, कास्टिंग, और जगह लेकर, रोलिंग या अन्य प्रक्रिया द्वारा बाहरी प्रभाव सामान्य रूप से ताप और दबाव), यदि आवश्यक हो साल्वन्ट या पलास्टिसाइज़र के साथसे बनने के किसी अनुगामी स्त (र पर आकार जो बाहरी प्रभाव हटने पर बना रहे। प्लास्टिक में वल्केनाइज्ड फाइबर भी शामिल है।

प्लास्टिक[12] पोलीमर के रूप में भी जाना जाता है और पैट्रोकेमिकल उद्योग (अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज) का मुख्य तैयार उत्पाद है। प्लास्टिक उद्योग चेन को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात् अपस्ट्रीम, जो पोलीमर्स का विनिर्माण है और डाउनस्ट्रीम, जो पोलीमर को प्लास्टिक की वस्तुओं में बदलना है। डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेंसिंग उद्योग अत्यधिक खंडों में हैं और जिसमें माइक्रो, लघु और मध्यम इकाईयां शामिल है जिसमें से अधिकतर लघुस्तर क्षेत्र में आती हैं।

प्लास्टिक और उसकी वस्तुऐं, 28 फरवरी 1986 से प्रभावी केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अंतर्गत, पहली अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य हैं।

पोलीमर्स के उत्पादन में 2008-09 में 5,060 हजार एमटी से 2015-16 में 8,839 हजार एमटी तक की वृद्धि हुई है (8.3% की कंपाउंड वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) जबकि उसी अवधि में उसकी खपत में 5,977 हजार एमटी से 12,055 हजार एमटी तक की वृद्धि हुई (10.5% का सीएजीआर)।

---

[11] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 39 के अंतर्गत अध्याय नोट 1

[12] कैमिकल्स और पैट्रोकैमिकल्स सांख्यिकी एक नज़र में 2016 - रसायन और उर्वरक मंत्रालय

2.1.1 हमने यह विषय क्यों चुना

प्लास्टिक, वित्तीय वर्ष 16 में ₹ 6,092 करोड़ के राजस्व अंशदान सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत शीर्ष राजस्व उत्पादन वस्तुओं में से एक है। वर्तमान में, भारतीय प्लास्टिक उद्योग में 30,000 प्रसंस्करण इकाइयों से अधिक हैं, जिसमें से 85 से 90 प्रतिशत लघु और मध्यम उद्योग (एसएमई) हैं। वित्तीय वर्ष 15 में प्लास्टिक उद्योग से ₹ 1,33,245 करोड़ का कुल कारोबार हुआ था जिसमें से 80 प्रतिशत योगदान डाउनस्ट्रीम सेगमेंट के अंतर्गत लघु स्तर इकाइयों द्वारा था। 2015-16 के दौरान प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं का आयात ₹ 74,566 करोड़ था जो उसी वर्ष[13] के दौरान ₹ 24,90,298 करोड़ के कुल आयात का 2.99 प्रतिशत बनता था। भारतीय प्लास्टिक उद्योग से उत्पाद पूरे विश्व में 150 से अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। 2015-16 के दौरान प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं का निर्यात ₹ 34,338 करोड़ का था जो ₹ 17,16,378 करोड़ के कुल निर्यात का 2.00 प्रतिशत था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा, प्लास्टिक क्षेत्र और उसकी मानीटरिंग से संबंधित उत्पाद शुल्क की उगाही, निर्धारण और संग्रहण के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों सहित, समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिसों आदि की पर्याप्तता और अनुपालन निर्धारित करने का प्रयास है।

2.3 कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा ने, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये एसीईएस[14] डाटा से 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिये प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं से संबंधित राजस्व डाटा एकत्र किया और कुल राजस्व संग्रहण, इकाई में शुल्क के भुगतान न करने/कम भुगतान करने के मामलों की संख्या, सेनवैट क्रेडिट के उपयोग

[13] वाणिज्य विभाग - आयात निर्यात डाटा बैंक (www.commerce.gov.in/EIDB.aspx)

[14] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचलन

आदि से जुड़े मानदंडों के आधार पर, कथित अवधि के इस डाटा से नमूना इकाइयों का चयन किया गया था। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित कुल 119 कमिश्नरियों में से 25 कमिश्नरियों और इन कमिश्नरियों के अंतर्गत 25 डिविजनों और 50 रेंजों का चयन किया। लेखापरीक्षा में विस्तृत संवीक्षा की जानी थी लेकिन नहीं की गई/की गई, आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी थी लेकिन नहीं की गई/आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, निर्धारिती द्वारा शुल्क का कम भुगतान आदि सहित मानदंडो के आधार पर इन चयनित कमिश्नरियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले 308 निर्धारितियों का भी चयन किया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने आठ चयनित 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों (ईओयू) और 20 अतिरिक्त निर्धारितियों के अभिलेखों की भी जांच की जिनके अभिलेखों की संबंधित डिविजन/रेंजों में ही जांच की गई थी और जो प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं के व्यापार से जुडे थे (कुल 336 निर्धारिती)। इन निर्धारितियों ने प्लास्टिक के समान के विनिर्माण के साथ-साथ प्लास्टिक का कच्चा माल आयात किया। इस एसएससीए में सम्मिलित की गई अवधि 2013-14 (वि.व.14) से 2015-16 (वि.व.16) थी। प्लास्टिक विनिर्माताओं से संबंधित डाटा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति, वाणिज्य कर विभाग से भी प्राप्त किया गया था और अपंजीकृत निर्धारितियों को पहचानने के लिये एसीईएस डाटा के साथ तुलना की गई थी।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.1 प्लास्टिक की वस्तुओं से राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति

तालिका 2.1 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिये कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की तुलना में प्लास्टिक क्षेत्र से राजस्व में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका संख्या 2.1: कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में प्लास्टिक क्षेत्र से राजस्व का शेयर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	के.उ.शु राजस्व	प्लास्टिक से राजस्व	के.उ.शु राजस्व के % के रूप में प्लास्टिक राजस्व
1	2013-14	1,69,455	4,298	2.54
2	2014-15	1,89,038	5,150	2.72
3	2015-16	2,87,149	6,092	2.12

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

2.4.2 चयनित कमिश्नरियों में राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति

लेखापरीक्षा ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिये चयनित कमिश्नरियों से प्लास्टिक क्षेत्र से संबंधित राजस्व डाटा एकत्र किया। 2014-15 से पीएलए राजस्व के साथ 2015-16 के व्यक्तिगत बही खाता (पीएलए) राजस्व की तुलना ने निम्नलिखित दर्शाया:

(i) 18 कमिश्नरियों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई। इनमें से, चार कमिश्नरियों अर्थात गुडगांव-II (269.64%), फरीदाबाद (148.11%), गुवाहाटी (76.39%) और कोलकाता-II (74.71%) ने 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाई।

(ii) चार कमिश्नरियों, हैदराबाद IV (-14%), इंदौर (-7%), चेन्नै IV (-6%) और सिलवासा (-3%) ने वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्शाई। चेन्नै IV कमिश्नरी ने बताया कि बिक्री में कमी के कारण उत्पादन कम हुआ, जिससे शुल्क का कम भुगतान हुआ।

(iii) दो कमिश्नरियों, बैंगलूरू II और नोएडा I ने या तो कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया या अधूरा डाटा उपलब्ध कराया था, जबकि बेलपुर कमिश्नरी द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा ने सभी तीन वर्षों के लिये समान राजस्व आंकड़े दर्शाये। इसलिये लेखापरीक्षा इन कमिश्नरियों के निष्पादन पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं था।

(iv) दमन कमिश्नरी (₹ 179.45 करोड़) और सिलवासा कमिश्नरी (₹ 160.46 करोड़) वर्ष 2015-16 के दौरान पीएलए से सर्वाधिक राजस्व अंशदाता थे।

2.4.3 विवरणी फाइल न करना/देर से फाइल करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 12(1) प्रावधान करता है कि प्रत्येक निर्धारिती (लघु स्तर उद्योग (एसएसआई) के अलावा), महीना जिसके लिये ऐसा रिटर्न देय है के अगले महीने की 10 तारीख तक अन्य के साथ-साथ, उत्पादन का विवरण और माल की निकासी दर्शाते हुये मासिक रिटर्न (फार्म ईआर-1) प्रस्तुत करेगा। एसएसआई इकाईयों को तिमाही की समाप्ति के बाद 10 दिनों के अंदर तिमाही आधार पर उपरोक्त विवरण दर्शाते हुये ईआर-3 रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यद्यपि रिटर्न फाइल न करने/विलम्ब से फाइल करने के लिये कोई निश्चित जुर्माना निर्धारित नहीं है, उक्त नियमावली का नियम 27 किसी भी नियम के उल्लंघन के लिये अधिकतम ₹ 5000 तक का सामान्य जुर्माना निर्धारित करता है, जो रिटर्न फाइल न करने/देरी से फाइल करने पर लगाया जाता है।

50 रेंजो से प्राप्त प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत ईआर-1/ईआर-3 रिटर्नों के विवरणों से पता चला कि 11 रेंजो में फाइल न करने के 128 मामले थे और 29 रेंजो में विवरणियां विलम्ब से फाइल करने के 1296 मामले थे। विभाग ने 27 रेंजो में केवल 487 मामलों (37.57 प्रतिशत) में विवरणियां फाइल करने में विलम्ब के लिये ₹ 8.31 लाख का जुर्माना लगाया और 46 मामलों में ₹ 0.32 लाख की वसूली की। विभाग ने फाइल न करने के 128 मामलों में और विवरणियां विलम्ब से फाइल करने के 809 मामलों में न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई जुर्माना लगाया। चार रेंज जहां कार्रवाई हेतु 50 से अधिक विवरणियों के मामले लंबित हैं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 2.2: विवरणी फाइल न करना/विलम्ब से फाइल करना

क्र. सं.	कमिश्नरी का नाम	डिविजन का नाम	रेंज का नाम	कार्रवाई हेतु लंबित विवरणियां फाइल न करने/विलम्ब से फाइल करने के मामलों की संख्या			
				2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	कोलकाता II	हावडा IV	रेंज III	24	44	33	101
2	अहमदाबाद-III	कलोल	एआर-II	5	54	7	66
3	दिल्ली- I	डिविजन I	रेंज-V	8	18	38	64
4	कोलकाता V	बिशनुपुर	रेंज III	16	20	18	54

विवरणियां फाइल न करने/विलंब से फाइल करने के लिये कार्रवाई शुरू न करना मानीटरिंग तंत्र में शिथिलता दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2016 और मार्च 2017 के बीच यह बताया।

मंत्रालय ने उत्तर में निम्नलिखित बताया (सितम्बर 2017):

- मंत्रालय ने 367 मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया। इनमें से, 36 मामलों में, ₹ 2.20 लाख के जुर्माने की वसूली की गई थी, 331 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था/कार्रवाई शुरू की गई थी।
- शेष 570 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

2.4.4 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा - समीक्षा और सुधार मामलों में लम्बन

एसीईएस शुरू होने के बाद, रिटर्नों की प्राथमिक संवीक्षा स्वयं प्रणाली द्वारा की जा रही है। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी का समय से प्रस्तुतीकरण, शुल्क का भुगतान, गणना की गई राशि की अंकगणितीय सटीकता और फाइल न करने वाले/स्टॉप फाइलरों की पहचान सुनिश्चित करना है। जहां एसीईएस प्रणालियों द्वारा असंगति पाई जाती है वहाँ ऐसी सभी विवरणियां संवीक्षा और सुधार (आरएंडसी)[15] के लिये चिन्हित की जाती हैं। एसीईएस द्वारा आरंएंडसी हेतु चिन्हित इन विवरणियों की निर्धारिती के साथ परामर्श करके पुष्टि की जानी चाहिये और प्रणाली में पुन: प्रविष्टि की जानी चाहिये। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा और आरएंडसी, विवरणियों के प्राप्त होने की तिथि से तीन महीनों के अंदर पूर्ण की जानी है।

[15] चिह्नित विवरणियों के संबंध में त्रुटियों को सही करने की प्रक्रिया आरएंडसी कहलाती है।

लेखापरीक्षा ने प्लास्टिक क्षेत्र से संबंधित विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के संबंध में चयनित 50 रेंजो से डाटा प्राप्त किया। डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान प्राप्त 29,520 विवरणियों में से, 26,204 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा की गई थी जबकि इस तथ्य के बावजूद कि प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस द्वारा स्वत: ही की जानी है, 3,316 विवरणियों (11.23 प्रतिशत) के संबंध में प्राथमिक संवीक्षा लंबित थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि एसीईएस द्वारा आरएंडसी के लिये मार्क की गई 25,898 विवरणियों में से, विभाग निर्धारित तीन महीनों के अंदर 22,998 (88.80 प्रतिशत) विवरणियां ही सही कर सका। इस प्रकार, आरएंडसी के लिये 2,900 विवरणियां लंबित थी। बैंगलुरू II और गुड़गांव II कमिश्नरियों के अंतर्गत रेजों ने 2013-14 के लिये डाटा उपलब्ध नहीं कराया। नोएडा I कमिश्नरी के अंतर्गत रेंज-24 और थाने-I कमिश्नरी के अंतर्गत रेंज I और II ने सभी तीन वर्षों के लिये डाटा उपलब्ध नहीं कराया। इसप्रकार, लेखापरीक्षा इन कमिश्नरियों के निष्पादन पर टिप्पणी करने में असमर्थ था। रेंज जहां विवरणियां आरएंडसी के लिये लंबित थी, उन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 2.3: प्राथमिक संवीक्षा - आरएंडसी मामलों में विलम्ब

क्र.सं.	कमिश्नरी का नाम	डिविजन का नाम	रेंज का नाम	विवरणियों की संख्या जहां आरएंडसी लंबित था			
				2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	दिल्ली-I	डिविजन-I	रेंज-V	154	388	749	1,291
2	दिल्ली-I	डिविजन-I	रेंज-IV	56	229	473	758
3	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर II	कोयम्बटूर II ए	120	129	120	369
4	कोलकाता V	बिशनुपुर	रेंज III	105	111	126	342
5	कोलकाता II	हावडा IV	रेंज IV	68	72	0	140
	कुल			**503**	**929**	**1,468**	**2,900**

दिल्ली I कमिश्नरी के अंतर्गत रेंज IV और V और कोलकाता V कमिश्नरी के अंतर्गत रेंज III में आरएंडसी मामलों में विलंब में तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई। दिल्ली-I कमिश्नरी की दो रेंजों में वर्ष 2015-16 के दौरान क्रमश: 749 और 473 आरएंडसी मामलों में विलंब हुआ था। 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्राप्त कुल विवरणियों के संबंध में विलंब की स्थिति में रेंज IV में 13.86 प्रतिशत से 78.31 प्रतिशत और रेंज V में 24.64 प्रतिशत से 76.43 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

हमने अक्तूबर 2016 में उपरोक्त विलम्ब के बारे में बताया।

मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर (सितम्बर 2017) दिया:

- दिल्ली I, कोयम्बटूर और कोलकाता V कमिश्नरियों के संबंध में, यह बताया गया था कि कार्रवाई की गई और लंबित मामलों का निपटान कर दिया गया (2,760 रिटर्न)।
- कोलकाता II कमिश्नरी के संबंध में, यह बताया गया था कि एक विवरणी के लिये कार्रवाई की गई थी। शेष 139 लंबित विवरणियों के लिये उत्तर प्रतीक्षित था।

आरएंडसी करने में विलम्ब न केवल विवरणियों की संवीक्षा की खराब मॉनीटरिंग दर्शाता है, बल्कि संभावित राजस्व हानि भी हो सकती है क्योंकि मामले समयबाधित हो रहे थे।

2.4.5 विवरणियों की विस्तृत जांच में कमी

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने परिपत्र संख्या 818/15/2005-CX दिनांक 15 जुलाई 2005 में ईआर-1 और ईआर-3 विवरणियों की संवीक्षा के तरीके के लिये विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये थे।

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत जानकारी की पुष्टि करना और मूल्यांकन, सेनवैट क्रेडिट के लाभ, छूट अधिसूचना लाभ की स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के बाद लगाये गये कर की प्रभावी दर की सटीकता सुनिश्चित करना आदि है। प्राथमिक संवीक्षा के विपरीत, विस्तृत संवीक्षा केवल कुछ चयनित विवरणियों को सम्मिलित करने के लिये होती है, जो करदाता द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में प्रस्तुत जानकारी से प्राप्त जोखिम मानदंडों के आधार पर पहचानी जाती हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी, की संवीक्षा नियम पुस्तक 2008 पैरा 4.1ए के साथ पठित पैरा 4बी जोखिम मानदंडों के आधार पर निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा के लिये प्राप्त कुल विवरणियों के पांच प्रतिशत तक के चयन का प्रावधान करता है। सीबीईसी ने विस्तृत संवीक्षा करने के लिये फाइल की गई कुल विवरणियों के 2 से 5 प्रतिशत की रेंज निर्धारित करते हुये परिपत्र संख्या

1004/11/2015-CX दिनांक 21 जुलाई 2015 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा के लिये संशोधित दिशानिर्देश जारी किये।

लेखापरीक्षा ने चयनित 50 रेंज से प्राप्त और विस्तृत संवीक्षा के अध्यधीन विवरणियों से संबंधित डाटा लिया और यह देखा कि कुल 1,05,212 विवरणियों में से रेंज ने विस्तृत संवीक्षा के लिए 1992 विवरणियों (1.89 प्रतिशत) का चयन किया। इन 1992 विवरणियों में से 278 विवरणियां प्लास्टिक क्षेत्र से संबंधित थी। संवीक्षा से विभाग ने 32 मामलों में ₹ 1.93 करोड़ के राजस्व प्रभाव का पता लगा पाया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान 31, 34 और 11 रेंज जिन्होंने डाटा प्रदान किया था, ने इस तथ्य के बावजूद भी कि बड़ी संख्या में विवरणियां प्राप्त हुई थी, विस्तृत संवीक्षा हेतू किसी विवरणी का चयन नहीं किया, जैसा विवरण नीचे दिया गया है। इन वर्षों के लिए 9, 10 और 3 रेंज द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

तालिका 2.4: वर्षवार फाइल की गई विवरणियों की संख्या

इतने रेंज वाली विवरणियों की संख्या	रेंज की संख्या		
	2013-14	2014-15	2015-16
1000 तक	24	28	31
1001 से 2000	9	10	6
2001 से 3000	2	1	5
3001 से 4000	2	3	2
4001 से ऊपर	-	-	1

पांच रेंज, जहां फाइल की गई विवरणियों की संख्या सर्वाधिक थी लेकिन विस्तृत संवीक्षा हेतु किसी भी विवरणी का चयन नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:

तालिका 2.5: उच्च विवरणियों की रेंज और विस्तृत संवीक्षा हेतु चयनित विवरणियां

क्र. सं.	कमिश्नरी	डिवीजन	रेंज	फाइल की गई विवरणियों की संख्या			
				2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	दिल्ली I	डिवीज़न I	रेंज V	3,308	3,483	4,000	10,791
2	दिल्ली I	डिवीज़न I	रेंज IV	2,066	2,096	2,495	6,657
3	चेन्नई II	डिवीज़न II	अम्बत्तूर II	1,813	1,942	2,145	5,900
4	बैंग्लुरू II	पीन्या II	पीन्या पी	654	629	711	1,994
5	राजकोट	राजकोट I	एआर IV	419	465	537	1,421

हमने इसे इंगित किया (फरवरी और मार्च 2017)।

मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया (सितम्बर 2017):

- गुड़गांव II और राजकोट कमिश्नरियों के संबंध में यह बताया गया कि आपत्तियों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। कोयम्बटूर, बैंग्लुरू और कोलकाता II कमिश्नरियों के संबंध में विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा पूर्ण की जा चुकी है।
- दिल्ली I कमिश्नरी (2013-14 से 2015-16) और हैदराबाद III एवं IV कमिश्नरी (2013-14) के संबंध में यह स्वीकार कर लिया गया कि कोई भी विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी। दमन और गुवाहाटी कमिश्नरियों के संबंध में यह बताया गया कि कोई भी विस्तृत संवीक्षा लंबित नहीं थी। तथापि प्रदान किए गए डाटा के अनुसार, 2013-14 और 2014-15 के दौरान विस्तृत संवीक्षा के लिए किसी भी विवरणी का चयन नहीं किया गया था।
- 28 रेंज वाली शेष 15 कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

विस्तृत संवीक्षा अनुपालन सत्यापन का पहला क्रम होने के कारण उपरोक्त कमिश्नरियों द्वारा संबंधित वर्षों के दौरान विस्तृत संवीक्षा के लिए विवरणियों का चयन न करना, अनुपालन सत्यापन तंत्र में कमी दर्शाता है।

2.4.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों और भुगतान किए गए निर्धारण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास

उपलब्ध एक अतिरिक्त तंत्र है। यह निर्धारितियों के वैज्ञानिक चयन के माध्यम से पूर्व-तैयारी पर जोर देते हुए जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होता है: सांविधिक अभिलेखों के प्रति कारोबारी अभिलेखों की संवीक्षा करते हुए और लेखापरीक्षा बिन्दुओं की निगरानी करके सुनिश्चित किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार, इकाइयों का चयन शुल्क भुगतान मानकों और ₹ 3 करोड़ से अधिक के भुगतान की अनिवार्य वार्षिक लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों के आधार पर था। मानको को संशोधित कर दिया गया है और 27 फरवरी 2015 से प्रभावी संशोधित मानको के अनुसार लेखापरीक्षा कमिश्नरी को वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तावित निर्धारितियों का नाम दर्शाने वाले प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक एक वार्षिक योजना जारी करनी होती हैं।

2.4.7 आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के परिणामस्वरूप चूकों का पता न लगना

लेखापरीक्षा ने 29 निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की जिनकी मौजूदा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की जानी थी किन्तु विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा शामिल नहीं किए गए थे और लेखापरीक्षा ने शुल्क के कम भुगतान, अनुचित रूप से सेनवैट क्रेडिट लेने आदि वाले 17 निर्धारितियों के 24 मामलों में चूक देखी जिसमें ₹ 1.06 करोड़ की राशि शामिल थी। इन मामलों का पता लगाया जा सकता था यदि नियमानुसार इन इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई होती।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

2.4.7.1 वस्तुओं के अवमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान

यथा संशोधित केंद्रीय उत्पाद मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 6 अनुसार जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(क) के अंतर्गत ऐसे मूल्य पर बेची जाती हैं जहां मूल्य ऐसी बिक्री के लिए एकमात्र मूल्य नहीं है, तो मूल्य को समेकित मूल्य माना जाएगा जिसमें क्रेता से माल की मुफ्त आपूर्ति के रूप में प्राप्त अतिरिक्त मूल्य शामिल होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि औरंगाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाली मै. अल्टिमा प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज़ ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान मै. वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि. से मुफ्त में मोल्ड्स प्राप्त किए, और मुफ्त में आपूर्त मोल्ड्स की परिशोधित लागत जोड़े बिना विनिर्मित वस्तुओं की निकासी की। इस प्रकार, हटाई गई वस्तुओं के मूल्य में ₹ 63.16 लाख राशि के मुफ्त में प्राप्त मोल्ड्स का मूल्य शामिल न करने के कारण ₹ 7.80 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई। विभाग द्वारा उपरोक्त अवधि को शामिल करने वाली इस इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

हमने इस मामले को उठाया (दिसम्बर 2016) और मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि दस्तावेजों की मांग करते हुए अगस्त 2017 में निर्धारिती को पत्र भेजा जा चुका था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2017)।

शेष 23 मामलों के संबंध में:

- मंत्रालय ने 17 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली। इनमें से 16 मामलों में ब्याज सहित ₹ 79.85 लाख का शुल्क वसूल किया गया था। एक मामले में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए गलत वर्गीकरण में सुधार किया गया था।
- 6 मामलों में मंत्रालय ने बताया कि उत्तर बाद में भेजा जाएगा।

2.4.8 आंतरिक लेखापरीक्षा करने के बावजूद चूकों का पता नहीं लगा पाना

लेखापरीक्षा ने 44 निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की जो विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल किए गए थे और ₹ 67.54 लाख की राशि वाले शुल्क के कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनुचित लाभ लेने वाले 20 निर्धारितियों से संबंधित 36 मामलों में चूक देखी। इसप्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा करने के बावजूद भी इन 36 चूकों का पता नहीं चला। कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

2.4.8.1 संव्यवहार मूल्य में बरकरार रखी गई वैट छूट राशि का समावेश न करना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(3)(डी) के अनुसार, "संव्यवहार मूल्य" का अर्थ है बिक्री के समय वस्तुओं के लिए वास्तव में अदा मूल्य या देय मूल्य और मूल्य के रूप में प्रभारित राशि के अतिरिक्त कोई राशि जो किसी भी समय बिक्री से संबंधित अथवा किसी भी कारण से निर्धारिती की ओर से देय हो, शामिल होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिक्री कर जैसे कर जो संग्रहीत होते हैं लेकिन अदा नहीं किए गये अथवा देय हों, वे संव्यवहार मूल्य के भाग होंगे, जैसा कि मै. सुपर सिनोटैक्स इंडिया लि. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था।

गुवाहाटी कमिश्नरी के अंतर्गत मै. ललित पॉली वीव एलएलपी ने असम इंडस्ट्रीज (कर छूट) योजना 2009 के अंतर्गत छूट का लाभ लिया जिसके अंतर्गत इसने संग्रहीत वैट का 99% रोक लिया था और इसका केवल 1% राज्य सरकार को भुगतान किया था। निर्धारिती ने 2013-14 से 2015-16 (मई 2015 तक) की अवधि में रोकी गई वैट राशि पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया। तथापि, निर्धारिती ने जून 2015 से रोके गए वैट पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप निकासी की गई वस्तुओं का कम मूल्य निर्धारण हुआ जिसके कारण 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (मई 2015 तक) के दौरान ₹ 22.84 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई। अधिनियम की धारा 11एए के अंतर्गत ब्याज भी वसूलीयोग्य था।

2014-15 की अवधि शामिल करते हुए जून 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी लेकिन अनियमितताओं का पता नहीं चला था।

हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2016) और मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि ₹ 22.54 लाख के शुल्क की वसूली की गई। मंत्रालय के उत्तर में आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर कुछ नहीं कहा गया।

2.4.8.2 तैयार माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप शुल्क की कम उगाही

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम अधिनियम 1944 की धारा 3 के अनुसार, सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं, जो भारत में उत्पादित हैं या बनते हैं, पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में घोषित दरों के अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। औद्योगिक प्रयोग के अलावा, टैरिफ उपशीर्ष 39232100 (एथिलीन के पॉलीमर्स की बोरियां या बैग्स) के अंतर्गत आने वाले एथिलीन के पॉलीमर्स की बोरियां या बैग्स के लिए शुल्क की प्रभावी दर 1 मार्च 2015 की अधिसूचना संख्या 12/2015-सीई द्वारा 1 मार्च 2015 से यथामूल्य 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई थी।

कोलकाता II कमिश्नरी के अंतर्गत मै. मनभारी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने एथिलीन के पॉलीमर्स से 'पालीथिन बैग्स' बनाए और इसे उपशीर्ष 39232100 की बजाए टैरिफ उपशीर्ष 39232990 (एथिलीन के पॉलीमर्स की बोरियां या बैग्स) के अंतर्गत इसका गलत वर्गीकरण करते हुए 15 प्रतिशत की बजाए 12.5 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान करते हुए गैर-औद्योगिक ग्राहकों को अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के बीच ऐसे 320.43 मी. टन बैग्स की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप वसूलीयोग्य ब्याज वसूल किए जाने के अलावा ₹ 10.85 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई। यद्यपि 2014-15 की अवधि लेते हुए फरवरी 2016 में इस इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, फिर भी इस चूक का पता नहीं लग पाया।

हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2016 और मार्च 2017) तथा मंत्रालय ने ₹ 14.10 लाख के शुल्क और ब्याज की वसूली की सूचना (सितम्बर 2017) दी।

शेष 34 मामलों के संबंध में:

- 31 मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया, इनमे से 21 मामलों में 9.17 लाख की शुल्क राशि ब्याज सहित वसूल की गई और 10 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था/कारवाई की गई थी।

- दो मामलों में, मंत्रालय ने बताया कि उत्तर बाद में दिया जायेगा।
- अहमदाबाद III कमिश्नरी के अधीन पारसपैक इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि कार्यकारी आयुक्त के पास छूट की संस्वीकृति की वैधता को अभिनिश्चित करने के लिए समीक्षा तन्त्र है।

तथापि तथ्य यह है कि इस प्रकार की समीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

2.4.9 विभागीय ईकाईयों की लेखापरीक्षा में देखी गई अन्य कमियाँ

लेखापरीक्षा ने चयनित रेंजो/डिविजनों में ₹ 2.97 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले चूको के 46 मामले देखे जिनमें शुल्क के कम भुगतान सहित सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना और आयातित माल के संबंध में अभिप्रेत उद्देश्य के लिए अंतिम उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जाना आदि का विभाग द्वारा पता नहीं लगाया गया था।

कुछ दृष्टान्त मामले नीचे दिये गये हैं:

2.4.9.1 कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णय में विलम्ब

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए की उप-धारा 11बी, यथा संशोधित, अनुबन्ध करता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी जहाँ ऐसा करना यथा सम्भव हो, धोखाधड़ी छिपाव इत्यादि को सम्मिलित करते हुए मामलों के संबंध में, नोटिस की तिथि से एक वर्ष के अन्दर उत्पाद-शुल्क राशि का निर्धारण करेगा।

लेखापरीक्षा ने कोलकाता II कमिश्नरी के तहत हावड़ा IV डिवीजन के अभिलेखों में देखा कि ₹ 5.87 लाख की राशि के लिए मै. वेल बर्गर कोटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में मार्च 2012 में छिपाव को शामिल करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था परन्तु उपरोक्त एससीएन अभी तक अधिनिर्णत किया जाना था।

हमने इसे बताया (दिसम्बर 2016) और मंत्रालय ने सूचित किया (सितम्बर 2017) कि एससीएन अधिनिर्णय प्रक्रिया के तहत हैं।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इस मामले में एससीएन मार्च 2012 को जारी किया गया था जिसका एक वर्ष की अनुबंधित अवधि के अन्तर्गत अधिनिर्णय किया जाना आवश्यक था। तथापि, यह वर्तमान तिथि तक अधिनिर्णय के लिए लंबित था (सितम्बर 2017)।

2.4.9.2 विस्तृत मैनुअल संवीक्षा के लिए इकाई का गलत चयन

सीबीईसी ने विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा, 2008 की नियमावली के दिशा-निर्देशो के पैरा 4.1बी में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि विस्तृत संवीक्षा के लिए विवरिणियों का अंतिम चयन रेंज में कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य होगा कि जिन ईकाईयों का चयन किया गया है उनमें वो इकाइयां नहीं है जो पिछले वित्त वर्ष में अनिवार्य रूप से लेखापरिक्षित की गई हैं एवं वर्तमान वर्ष में लेखापरीक्षा के लिए संभावित हैं। यह प्रयास के दोहराव को वर्जित करेगा ओर रेंज में उपलब्ध संसाधनो के प्रयोग को अनुकूलन करेगा।

विभाग द्वारा 2014-15 के दौरान किये गये आंतरिक लेखापरीक्षा/ ब्यौरेवार मैनुअल से संबंधित डाटा की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि लेखापरीक्षा चैन्नई II कमिश्नरी के तहत अम्बेतुर I रेंज के तहत आने वाले मैसर्स यूरो लेबर इन्डस्ट्रीज को दिसम्बर 2014 में आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए चयनित किया गया था। तथापि, दिसम्बर 2014 में लेखापरीक्षा की गई इकाई पर ध्यान दिये बिना इसी इकाई को जनवरी 2015 के दौरान डीएमएस के लिए भी चयन किया गया था, 2014-15 के समान वित्त वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा और डीएमएस के लिए मैसर्स यूरो लेबल इन्डस्ट्रीज का चयन बोर्ड के निर्देशो का उल्लघंन है।

हमने इस विषय में बताया (फरवरी और मार्च 2017) और मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2017) कि उत्तर बाद में भेजा जायेगा।

2.4.9.3 अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और चूक का अननुपालन

अधिसूचना सं. 25/1999 कस्टम दिनांक 28 फरवरी 1999 जब कुल विनिर्दिष्ट तैयार माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए भारत में आयात किए

जाते है तब कुछ विशेष माल पर छूट प्रदान करता है, जो उस पर उदग्राहय सीमा-शुल्क के शुल्क के उस हिस्से से अधिक हो जैसा कि शुल्क की शून्य दर या 5 प्रतिशत के मूल्यानुसार विज्ञापन मूल्य से अधिक हो, बशर्ते कि आयातकर्ता सीमा-शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क के रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।

नियम 5(2) की शर्तो में, ऐसे आयात के पश्चात सहायक आयुक्त/उपायुक्त सीमाशुल्क शुल्क की रियायती दर के अंतर्गत आयातित माल के ब्यौरे सहित आयात के विवरण अंतर्विष्ट करते हुए बिल प्रविष्टि की प्रति के ब्यौरे की प्रतिलिपि सहायक/उपायुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क को अग्रेषित करेंगे और यह प्रावधान मार्च 2016 तक के लिए विद्यमान था। उक्त नियमवली के नियम 8 में अनुबंध किया गया है कि सहायक आयुक्त/उपायुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क को सुनिश्चित करना है कि आयातित माल विनिर्माण के उद्देश्य के लिए विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त किये जाते हैं और यदि वे इसके लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं, तो ब्याज के साथ शुल्क की ऐसी रियायती दर के विस्तार के परिणामस्वरूप छोड़े गए शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई की जानी है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 20 मामलों में, विनिर्माताओं ने अध्याय 39 के तहत आने वाले माल का आयात किया था, जो कि मंडल कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उक्त अधिसूचना के तहत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के भुगतान के बिना था। तथापि, नियम 5(2) के अनुसार शुल्क की रियायती दर के तहत आयातित माल का विवरण बिल प्रविष्टि की प्रतियों के साथ संबंधित सहायक/उपायुक्त, समुद्री बंदरगाह/विमान पत्तन से 16 मामलों में प्राप्त नहीं हुए थे, जैसा कि मार्च 2016 तक आवश्यक था। यद्यपि, इन मामलों में माल का अंतिम उपयोग निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों के आधार पर सत्यापित किया गया था, वास्तविक आयात के डाटा से यह सत्यापित नहीं किया गया क्योंकि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। इन 16 मामलों में सम्मिलित शुल्क ₹ 2.27 करोड़ था।

शेष 4 मामलों में, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से न तो कोई डाटा प्राप्त हुआ और न ही अंतिम उपयोग के सत्यापन के लिए कोई कार्रवाई की गई। इन 4 मामलों में छोड़ा गया शुल्क ₹ 50.70 लाख था।

सीमा शुल्क के स.आ./उ.आ., समुद्री बंदरगाह/विमान पत्तन, द्वारा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क के स.आ./उ.आ. क्षेत्राधिकारी को बिल प्रविष्टि को प्रेषित करने की प्रक्रिया अधिसूचना सं.32/2016-सीई(एनटी) के अनुसार अप्रैल 2016 को वापस ले ली गई थी। तथापि, शुल्क की रियायती दर पर माल के आयात को स्वतन्त्र रूप से सत्यापित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधिकारिक स.आ./उ.आ. को सक्षम करने के लिए कोई भी तंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

हमने दिसम्बर 2016 और मार्च 2017 के बीच इसके विषय में बताया और मंत्रालय ने मैसर्स एडवान्स केबल टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलुरू के संबंध में कहा कि सीमा-शुल्क कार्यालयों के अंत पर कार्रवाई किया जाना निहित है जिसके माध्यम से माल आयात किये गये थे। जब तक बिलो की प्रविष्टि सीमाशुल्क गठन द्वारा आधिकारिक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये गये थे, उक्त को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, आयातकर्ता ने बिल प्रविष्टि प्रस्तुत किया था और यह केवल एक प्रक्रियात्मक कमी है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इस संबंध में सहायक आयुक्त (सीमा-शुल्क), चेन्नई को जून 2017 में एक पत्र भेजा गया था।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि आधिकारिक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी सीमा-शुल्क गठन से बिल प्रविष्टि की प्राप्ति नहीं होने के कारण आयात की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं कर सकते। यह विनिर्माण में आयातित माल की उचित प्राप्ति और उपयोग को सुनिश्चित करने में प्रणाली की कमियों को दिखाता है।

मंत्रालय को सीमा-शुल्क के स.आ./उ.आ. द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारिक स.आ./उ.आ. को आयात के ब्यौरे ऑनलाइन संचरण के रूप में, एक प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे आयात के विवरणों को स्वतन्त्र रूप से सत्यापित किया जा सकें।

शेष 43 मामलों के संबंध में:

- मंत्रालय ने 4 मामलों में ₹ 8.77 लाख की वसूली प्रतिवेदित की।
- माल के आयात के लिए प्रक्रिया के अननुपालन को शामिल करते हुए 19 मामलों और शेष 20 मामलों में के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)

2.4.10 एसीईएस के तहत पंजीकृत निर्धारिती से वैट डाटा का प्रति-सत्यापन

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 6(ए) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो उत्पादन करता है, विनिर्माण करता है, व्यापार करता है, निजी स्टोर कक्ष या गोदाम रखता है या अन्यथा उत्पाद शुल्क योग्य सामान का उपयोग करता है, पंजीकृत किया जाएगा।

आयुक्त वाणिज्यिक कर पश्चिम बंगाल, वाणिज्यिक कर विभाग, तमिलनाडू/गुजरात और एसीईएस के डाटा के अनुसार केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के पास पंजीकृत प्लास्टिक के विर्निमाताओं के पंजीकरण ब्यौरे से प्राप्त डाटा के प्रति सत्यापन से पता चला कि 117 इकाइयाँ जिनका टर्नओवर ₹ 1.5 करोड़ (एसएसआई सीमा) से अधिक था, वे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के पास पंजीकृत नहीं थी। लेखापरीक्षा के इस प्रकार के सत्यापन के परिणाम की रिपोर्ट और 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए उनके द्वारा समाशोधित ब्यौरे की जांच का व उक्त जांच का परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित करने का विभाग से अनुरोध किया गया था।

एक दृष्टांत मामला नीचे दिया गया है:

कोयम्बटूर कमिश्नरी के तहत मैसर्स गायत्री प्लास्टिक के ₹ 1.50 करोड़ (कुल टर्नओवर ₹ 1.93 करोड़) की एसएसआई छूट सीमा की अनुमति प्रदान करने के बाद, 2014-15 के दौरान तमिलनाडु वैट आवश्यकताओं के अनुसार ₹ 0.43 करोड़ के टर्नओवर की सूचना दी थी। तथापि, इकाई केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के पास पंजीकृत नहीं थी।

हमने इसके विषय में बताया था (नवम्बर 2016) और मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि उत्तर बाद में भेजा जायेगा।

शेष 116 मामलों के संबंध में, मंत्रालय ने (सितम्बर 2017)

- 104 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। यह बताया गया कि इनमें से, तीन इकाईयां लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद पंजीकृत की गई थी और एक मामले में 4.00 लाख के ब्याज के साथ शुल्क की राशि वसूल की गई थी। 101 इकाईयों के संबंध में, यह बताया गया कि कार्रवाई की जा रही है।
- 12 मामलों के संबंध में बताया गया कि उत्तर बाद में भेजा जायेगा।

लेखापरीक्षा की स्वतन्त्र जांच और मंत्रालय के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि कर जाल के आधार को बढ़ाने के लिए राज्य वाणिज्यिक कर डाटाबेसो के साथ केंद्रीय उत्पाद-शुल्क डाटा के प्रति सत्यापन के लिए विभाग द्वारा कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किये गए थे।

2.4.11 अन्य मुद्दे

लेखापरीक्षा ने निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के 190 मामलो को भी देखा, जिसमें शुल्क, ब्याज का गैर/कम भुगतान और ₹ 7.68 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ सेनवैट क्रेडिट इत्यादि का गलत लाभ उठाना शामिल था।

कुछ दृष्टांत मामले नीचे दिये गये हैं:

2.4.11.1 निर्धारणीय मूल्य के गलत अभिग्रहण जिससे अधिक क्रेडिट का हस्तांतरण

केन्दीय उत्पाद-शुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2000 के नियम 8 के अनुसार, यथा संशोधित, जहाँ उत्पाद-शुल्क योग्य माल के समग्र अथवा भाग को निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाते है परन्तु अन्य वस्तुओं के विनिर्माण एवं उत्पादन में उनकी ओर से अथवा उनके द्वारा उपभोग के लिए उपयोग किये जाते है, उपभोग किये गए इस प्रकार के माल का मूल्य इस प्रकार के माल के विनिर्माण एवं उत्पाद की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा।

चैन्नई IV कमिश्नरी के तहत आने वाले मैसर्स मदरसन सुमी इलेक्ट्रिक वायरस (एमएसईडब्ल्यू) और नोएडा II कमिश्नरी के तहत मैसर्स अजय पॉली प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन

निर्धारितियों ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान/एक मूल्य अपनाते हुये अर्द्ध-निर्मित माल अपनी सहायक इकाईयो का स्टॉक हस्तांतरित कर दिया था जो कि उत्पाद की लागत का 110 प्रतिशत से अधिक पाया गया था जिसे पूर्व व्यक्त नियम के अनुसार स्वीकार किया जाना आवश्यक था। नियमों के उल्लंघन में, 110 प्रतिशत मूल्य से अधिक के मूल्य स्वीकरण के परिणामस्वरूप 1.72 करोड़ की सीमा से अधिक के शुल्क का भुगतान हुआ इसके बदले मे उनकी सहायक इकाइयों को अतिरिक्त सेनवैट क्रेडिट पास करने के लिए प्रेरित किया गया, जो कि एक अनपेक्षित लाभ है और परिहार्य है।

हमने इस विषय में बताया (फरवरी और मार्च 2017), मैसर्स मदरसन सुमी इलेक्ट्रिक वायरस, चेन्नई और मैसर्स अजय पॉली प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा के संबंध में मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा आपत्तियां इस कारण से स्वीकार्य नहीं हैं कि इनपुट की लागत की अस्थिरता के कारण निर्धारिती ने शुल्क के भुगतान के लिए यह काल्पनिक मूल्य को अपनाया और लागत लेखा मानक (सीएएस) 4 के बाद मूल्य निर्धारित किया गया तथा उसी को अपनाया गया था। काल्पिनिक मूल्य सीएएस 4 मूल्य से अल्प रूप से अधिक था जिससे शुल्क का अधिक भुगतान हुआ। आगे कहा गया कि निर्धारिती ने भुगतान किए गए शुल्क के लिए प्रतिदाय का दावा नहीं किया था और सहायक इकाइयों को अत्यधिक क्रेडिट पास करना अनावश्यक नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं या क्योंकि सहायक इकाईयों को निकासी के लिए सीएएस 4 मूल्यांकन अपनाया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 3 वर्षो (2013-14 से 2015-16) के लिए उच्च मूल्य को स्वीकार किया गया था। शुल्क के भुगतान के लिए अनंतिम निर्धारण की सहायता से सही सीएएस 4 मूल्य को अपनाने की गुंजाइश थी जो कि इन मामलों में नहीं किया गया था। सहायक इकाइयों को निकासी के लिए सीएएस 4 से अधिक मूल्य को स्वीकार करना अंतिम उत्पाद की मुख्य लागत पर प्रभाव डालेगा।

2.4.11.2 सड़क संविदा (एफओआर) पर भाड़े के तहत निकासी की गई माल के निर्धारणीय मूल्य में जावक माल भाड़े का समावेश नहीं किया जाना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1944 की धारा 4(3)(ग) के अनुसार, शुल्क उदग्रहण के उद्देश्य के लिए ''संव्यवहार मूल्य'' का अर्थ है बेचे गये माल के लिए वास्तव में भुगतान किया गया अथवा देय मूल्य और इसमें कोई भी ऐसी राशि शामिल है जिसे खरीदार बिक्री के संबंध में निर्धारिती को भुगतान करने के लिए दायी है, या वह बिक्री के समय देय है एवं किसी अन्य समय में, परिवहन बीमा प्रभार आदि शामिल है।

संशोधित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद-शुल्क योग्य माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2000, आगे स्पष्ट करता है कि यदि कारखाना हटाने का स्थान नहीं है, तो कारखाने से हटाये जाने के स्थान जैसे डिपो, प्रेषण एजेंट परिसर आदि के लिए परिवहन की लागत उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए अपवर्जित नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने चार निर्धारितीयों के अभिलेखों में देखा (तालिका 2.4) कि खरीदारों के गंतव्य पर माल को पहुँचाने के लिए अपने खरीदारों से संविदा/करार किया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारित किया कि उक्त प्रावधानो की शर्तो में 2013-14 से 2015-16 के दौरान भुगतान किये गये जावक माल भाड़ा, खरीदारों के परिसर कारखाने के गेट से माल भाड़े से संबंधित था, और इस प्रकार इसको बिक्री मुल्य में शामिल किया जाना आवश्यक था और इस माल-भाड़े पर शुल्क उदग्राह्य था।

तालिका 2.6: माल-भाड़े को शामिल नहीं करने के कारण कम भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कमिश्नरी	निर्धारिती का नाम	जावक माल-भाड़े की राशि	उदग्राह्य उत्पाद-शुल्क
1	नोएडा I	मैसर्स इन्टग्रेट कैप्स लि. (इकाई II)	633.19	78.53
2	नोएडा II	मैसर्स ईस्ट इंडिया टेक्नालिजी प्रा. लि.	478.19	59.38
3	नोएडा II	मैसर्स अजय पॉली प्रा. लि.	130.15	16.15
4	नोएडा II	मैसर्स अपटडेट प्लास्टिक एण्ड पैकेजिंग प्रा. लि.	17.78	2.21
कुल			**1,259.31**	**156.27**

उपरोक्त चार मामलों में माल के निर्धारणीय मूल्य में जावक माल भाड़े को सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ के उत्पाद-शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमने इस विषय में बताया (फरवरी 2017) और मंत्रालय ने (सितम्बर 2017) उत्तर दिया जो निम्न प्रकार है:

- मैसर्स इंटेग्रेटेड कैप्स लि. (इकाई II) के संबंध में, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
- नोएडा II कमिश्नरी के तहत मैसर्स ईस्ट इंडिया टैक्नालोजी प्रा. लि. मैसर्स अजय पॉली प्राइवेट लि. और मैसर्स अपडेट प्लास्टिक एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लि. के संबंध में यह बताया गया कि संव्यवहार मूल्यों को स्वीकार करके माल की निकासी की गई थी जो कि माल-भाड़े के साथ सम्मिलित था। अत: शुल्क के भुगतान के लिए अपनाया गया मूल्य सही था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह देखा गया था कि मैसर्स ईस्ट इंडिया टैक्नॉलजी प्राइवेट लि., नोएडा II, के मामले में, निर्धारिती ने खरीदारो के साथ संविदा करार किया था और जावक माल-भाड़ा एक पृथक लागत की मूलवस्तु है। इसीलिए यह निर्धारणीय मूल्य में शामिल करने योग्य था। मैसर्स अजय पॉली प्राइवेट लि. और मैसर्स अपटूडेट प्लास्टिक एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लि. के संबंध में जावक भाड़ा पृथक रूप से संग्रहित किया गया और इसलिये

निर्धारणीय मूल्य शामिल योग्य था। यद्यपि, विभाग ने मैसर्स इन्टीग्रेटड कैप्स लि. (इकाई II), नोएडा I कमिश्नरी के संबंध में इसी विषय पर एससीएन जारी किया था, जो लेखापरीक्षा कार्रवाई की पुष्टि करता है।

2.4.11.3 डेबिट-नोट के आधार पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 9(2) प्रावधान करता है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 2002 अथवा सेवा कर नियमावली 1994 के तहत यथा निर्धारित सभी विवरण जब तक उपरोक्त दस्तावेज में शामिल नहीं हैं, जैसा भी मामला हो, तब तक कोई भी सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजकोट कमिश्नरी में मैसर्स मैल्टीफ्लैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2013-14 से 2015-16 के दौरान मैसर्स बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए उत्पाद शुल्क योग्य माल की अनुमति दी गई थी। कुछ क्षतिग्रस्त माल मैसर्स बालाजी वेफर्स प्रा. लि. द्वारा वापस किये गये थे जिसके लिए उनके द्वारा निर्धारिती को डेबिट नोट जारी किया गया था जिसमें उत्पाद शुल्क ब्यौरें सम्मिलित नहीं थे। मैसर्स बालाजी मैल्टीफैलक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2014-15 के दौरान इन डेबिट नोट के आधार पर ₹ 36.38 लाख का क्रेडिट लिया था जो कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन था।

हमने इसे बताया था (नवम्बर 2016) और मंत्रालय ने कहा था (सितम्बर 2017) कि गलत सेनवैट क्रेडिट के लिए दिसम्बर 2011 से मार्च 2016 की अवधि को सम्मिलित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और ₹ 36.38 लाख की राशि वसूल की गई।

2.4.11.4 पृथक खाता अनुरक्षित नहीं किये जाने के कारण सेनवैट का वापस न होना।

जहाँ एक विनिर्माता अथवा आऊटपुट सेवा प्रदाता पृथक खाता अनुरक्षित किये बिना सामान्य इनपुटो अथवा इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेता है और विनिर्माता इस प्रकार के अंतिम उत्पादो या इस प्रकार की आऊटपुट सेवाओं को प्रदान करता है जो कि कर योग्य है और साथ में माल/सेवा के रूप में छूट प्राप्त है, तब, विनिर्माता एवं आउटपुट सेवा प्रदाता नियम 6(3)(i) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार राशि का भुगतान करेगा।

इसके आगे, सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 6(3डी) (सी) अनुबंधित करता है कि व्यापार के मामले में छूट प्राप्त सेवा का मूल्य बिक्री किये गये माल की लागत की 10 प्रतिशत एवं बिक्री मूल्य और बिक्री माल की लागत (उनकी खरीदो के संबंध में वहन किये गये खर्चो को शामिल किये बिना सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तो के अनुसार निर्धारित किया गया) के बीच अंतर होगा जो अधिक है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मैसर्स कवित इन्डस्ट्रीज सेवा कर नोएडा कमिश्नरी के तहत दोनों विनिर्माण करने और करोबारी गतिविधियों में संलग्न थे परन्तु न तो पृथक खातो को अनुरक्षित किया और न ही उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 6 प्रतिशत मूल्यराशि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.67 लाख का भुगतान नहीं किया गया।

हमने इसके विषय में बताया (फरवरी 2017) और मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2017) कि निर्धारिती अनुपातिक क्रेडिट का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। आगे कहा गया कि दस्तावेजों की प्राप्ति पश्चात, कारण बताओ नोटिस का मसौदा, जारी किया जायेगा।

शेष 182 मामलों के संबंध में, मंत्रालय ने

- 175 मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया। इनमें से, 133 मामलों में ₹ 2.96 करोड़ की राशि ब्याज सहित वसूली गई थी। शेष 42 मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था/कार्रवाई की गई।
- 7 मामलों में कहा गया कि उत्तर भेज दिया जायेगा।

2.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्लास्टिक सेक्टर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण के संबंध में विभाग द्वारा नियमों के अनुपालन और प्रक्रियाओं में कमी थी। विवरणियों की अपर्याप्त मॉनीटरिंग, विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और मॉनीटरिंग तंत्र में कमियां द्वारा यह दर्शाया गया है।